रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-09/2022/2007/22-2-2021-17(349)/2020

लखनऊ:दिनांक: 30 अप्रैल, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालाराम सिंह (बन्दी संख्या-259/2020) पुत्र श्री गुलजारी सिंह, जो ग्राम-पिथउपुर, थाना-चुर्खी, जनपद-जालौन का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-109/1982 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 09.12.1983 द्वारा दोषमुक्त किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2019 द्वारा सजा को यथावत रखा गया, उक्त बन्दी द्वारा दिनांक 05.01.2021 तक 02 वर्ष, 00 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष, 03 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जालौन के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-09/2022/2007(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
3- पुलिस अधीक्षक, जालौन।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, उरई।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in